यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय सहायक आयुक्त (क0नि0) चतुर्थ, राज्य कर, हल्द्वानी** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय सहायक आयुक्त (क0नि0) चतुर्थ, राज्य कर, हल्द्वानी के माह 04/2015 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्रीमती रेखा एवं श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 19.01.2019 से 29.01.2019 तक श्री अशोक कुमार वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री सतेन्द्र कुमार, ले.प. श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 26.06.2015 से 04.07.2015 तक श्री के0एल0भट्ट वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण मे संपादित की गयी थी जिसमे 04/2013 से 03/2014 तक लेखा अभिलेखो का निरीक्षण किया गया। वर्तमान लेखापरीक्षा में राजस्व हेतु माह 04/2015 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखो की जांच की गयी।

1. (i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः**
2. (ii) (अ) **राजस्व विवरण**

विगत 3 वर्षो मे कार्यालय (वा0कर,) द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व (**₹लाख मे)**
2015-16	683.64
2016-17	964.47
2017-18	950.69

(ii)(ब) बजट का विवरण:-विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत

हैः(₹ लाख में)

वर्ष	बजट आवंटन	व्यय	व्यय अधिक/कम
आहरण वितरण का कार्य 10/2017 तक होने के कारण लेखापरीक्षा नहीं की गयी।			

(I) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष ₹	प्राप्त ₹	व्यय अधिक्य (+)₹	बचत (-)₹
शून्य					

(iii)इकाई को बजट आवंटन शासन से मुख्यालय को, मुख्यालय से डी0डी0ओ0 द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई A श्रेणी की है।

(iv)विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव, वित्त **>** आयुक्त कर, वाणिज्य कर**>** ज्वाइंट कमिश्नर, वाणिज्य कर**>** डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर**>** सहायक आयुक्त , वाणिज्य कर**>** वाणिज्य कर अधिकारी,

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **कर निर्धारण** को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय सहायक आयुक्त (क0नि0) चतुर्थ, राज्य कर, हल्द्वानी** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(vi) **विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :-**

राजस्वः 03/2016, 10/2016 एवं 03/2018 को विस्तृत जांच (राजस्व) हेतु चयनित किया गया।

(vii) **योजना का चयन :-** कोई नहीं।

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग दो ब

प्रस्तर- 01 कर के न्यूनारोपण से राजस्व क्षति ₹3.79 लाख

शासन के पत्र सं0 330/2012/14(120)/XXVII(8)/06 दिनांक 17.04.2012 के द्वारा 01.04.2012 से 31.03.2015 तक की अवधि के लागू की गयी थी एवं उत्तराखंड शासन के पत्र संख्या- 380/2013/02(120)/ XXIII(8)/ 2013 दिनांक 28.03.2013 के द्वारा अविभाजित सिविल एवं अविभाजित विद्युत संविदाकारों मे दिनांक 01.04.2013 से 31.03.2015 तक की अवधि के लिए समाधान योजना लागू किया गया। जिसमे निम्न परिवर्ती शर्तो एवं प्रतियांधों के अधीन अविभाजित सिविल सकर्म संविदा एवं अविभाजित विद्युत सकर्म संविदा को निष्पादित करने वाले पंजीकृत सिविल संविदाकारो एवं पंजीकृत विद्युत संविदाकारो हेतु देय कर के बदले समाधान राशि निश्चित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

(क) ऐसे मामले जिनमे सिविल संविदाकार केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत नहीं है अथवा उनके द्वारा समाधान योजना का विकल्प प्रस्तुत करने तक अथवा उससे पूर्व अपना केंद्रीय बिक्री कर पंजीयन प्रमाण पत्र रद्द करने हेतु surrender कर दिया गया हो, और उनके द्वारा योजना की अवधि मे कोई आयात न किया गया हो, के लिए समाधान राशि की गणना उपरोक्त के अनुसार आगणित धनराशि का 2 प्रतिशत की दर से की जाएगी।

(ग) जिन मामलो मे सिविल संविदाकार उपरोक्त बिन्दु (क) मे वर्गीकृत संविदाकार से भिन्न वर्ग का हो एवं उसके द्वारा सम्पन्न संविदा की सकल धनराशि के 5 प्रतिशत से अधिक आयातित माल का प्रयोग किया गया हो, समाधान राशि की गणना उक्तानुसार आगणित राशि के 6 प्रतिशत की दर से की जाएगी। समाधान राशि का भुगतान एवं रूप पत्रो की प्रस्तुति ऐसी रीति व समय के अंदर किया जाएगा।

कार्यालय सहायक आयुक्त (क0नि0)-खंड-04 राज्य कर विभाग हल्द्वानी के अभिलेखो की जांच मे पाया गया कि संविदाकार विशाल कंस्ट्रक्सन क़0 हल्द्वानी टिन 05006902157 कर निर्धारण वर्ष 2012-13 मे संविदाकार द्वारा संविदी विभाग से कुल भुगतान ₹86,21,968 प्राप्त किया जाना घोषित किया गया है जिस पर ₹4,57,000 टी डी एस काटा गया है। इस भुगतान पर 3 प्रतिशत की दर से समाधान राशि की गणना की गयी है। जबकि उपरोक्त धनराशि मे वर्ष 2012-13 के अनुबंध से ₹56,06,166 प्राप्त किया गया है। उल्लेखनीय है कि संविदाकार द्वारा संगत वर्ष मे 5 प्रतिशत से अधिक का माल प्रांत बाहर से आयात किया गया है। अतः उक्त धनराशि पर 6 प्रतिशत की दर से समाधान राशि निर्धारित होगा। इस प्रकार अंतरीय समाधान राशि 6 प्रतिशत - 3 प्रतिशत = 3 प्रतिशत धनराशि ₹56,06,166 x 3 प्रतिशत = ₹1,68,185 का कर संविदाकार पर अनारोपित रह गया।

2- विशाल कंस्ट्रक्सन क़0 हल्द्वानी टिन 05006902157 कर निर्धारण वर्ष 2013-14 मे संविदाकार द्वारा संविदी विभाग से कुल भुगतान ₹70,26,465 प्राप्त किया जाना घोषित किया गया है जिस पर 4,21,588 टी डी एस काटा गया है। इस भुगतान पर 3 प्रतिशत की दर से समाधान राशि की गणना की गयी है। संविदाकार द्वारा उक्त धनराशि एन/ए0एम0एम0/ ए0जी0एम0टी0/ 09 -10/013 दिनांक

10.11.2009 के अनुबंध के अंतर्गत प्राप्त होना दर्शाया गया है जबकि फार्म-IV बी के अनुसार उक्त भुगतान के संबंध मे detail enclosed नहीं किया गया है। जिससे यह स्पष्ट नहीं है की उक्त भुगतान किस अनुबंध के सापेक्ष प्राप्त हुआ है। वर्ष 2012-13 के कर निर्धारण आदेश मे भी अनुबंध संख्या - एन/ए0एम0एम0/ ए0जी0एम0टी0/ 09 -10/013 दिनांक 10.11.2009 के विरुद्ध भुगतान प्राप्त होना दर्शाया गया है। वर्ष 2012-13 के फार्म-04 बी के अनुसार उक्त भुगतान कई अनुबन्धो के सापेक्ष प्राप्त होना अंकित किया गया है। इस प्रकार वर्ष 2013-14 मे प्राप्त भुगतान वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 अनुबन्धो के बिरुद्ध प्राप्त किया गया है। उल्लेखनीय है कि संविदाकार द्वारा संगत वर्ष मे 5 प्रतिशत से अधिक का माल प्रांत बाहर से आयात किया गया है। अतः उक्त धनराशि पर 6 प्रतिशत की दर से समाधान राशि निर्धारित होगा। इस प्रकार अंतरीय समाधान राशि 6 प्रतिशत - 3 प्रतिशत = 3 प्रतिशत धनराशि ₹70,26,465 x 3 प्रतिशत = 2,10,794 का कर संविदाकार पर अनारोपित रह गया।

उपरोक्त दोनों बिन्दुओ को इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि व्यापारी को जो भी भुगतान प्राप्त हुआ है। वह वर्ष 2009-10 के अनुबंध के विरुद्ध किया गया है। वर्ष 2009-10 मे समाधान राशि की देयता 01 प्रतिशत रही है। चूकी व्यापारी द्वारा संगत वर्ष मे 5 प्रतिशत से अधिक का माल प्रांत बाहर से आयात किया गया है फलस्वरूप व्यापरी पर 03 प्रतिशत की दर से समाधान राशि की देयता निर्धारित की गयी है। इसके अतिरिक्त व्यापारी द्वारा वर्षित विवरणी (वर्ष 2012-13) मे एग्रीमेंट नंबर प्रदर्शित किए गए है, वह वास्तव मे डाकुमेंट न0 है, जिनको त्रुटिवश एग्रीमेंट नंबर मे प्रदर्शित किया गया है, जिसकी पुष्टि पत्रावली पर संलग्न प्रारूप-08 के अनुलग्नक से हो जाती है। अनुबंध संख्या एन/ए0 एम0एम0/ए0जी0एम0टी0/09-10/013 दिनांक 10.11.2009 की प्रति प्रस्तुत है।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योकि डाकुमेंट नं/दिनांक एवं एग्रीमेंट न0/दिनांक एक ही है। फार्म-08 मे एग्रीमेंट को डॉकयुमेंट नं लिखा गया है। यहा यह भी उल्लेखनीय है कि वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के कर निर्धारण आदेश मे अनुबंध संख्या एन/ए0 एम0एम0/ए0जी0एम0टी0/09-10/013 दिनांक 10.11.2009 के सापेक्ष भुगतान मानते हुये 3 प्रतिशत की दर कर आरोपित किया गया है। उक्त अनुबंध की कुल धनराशि ₹38,80,939 है। उक्त अनुबंध के सापेक्ष वर्ष वर्ष 2012-13 मे ₹86,80,968 एवं 2013-14 मे ₹70,26,465 मे प्राप्त हुआ है। उक्त अधिक भुगतान प्राप्त होने के संबंध मे विभाग द्वारा न कोई टिप्पणी गयी है न ही रिवाइज एस्टिमेट ही संलग्न किया गया है।

अतः कर के न्यूनारोपण से राजस्व क्षति ₹3.79 लाख का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाये जाने हेतु प्रस्तुत है।

भाग दो ब

प्रस्तर-02 **स्वीकृत कर का कम जमा किया जाना ₹1.64 लाख।**

उपरोक्त कार्यालय के माह 04/2015 से 03/1018 तक के अभिलेखों की नमूना जॉच के दौरान पाया गया कि व्यवहारी सर्वश्री दीपक मोटर्स लालकुऑ टिन 05012621471 कर निर्धारण वर्ष 2014–15 को अ उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 25(क) तथा शासनादेश 30.06.2017 के अनुपालन मे प्रान्तीय/केन्द्रीय वाद का निस्तारण स्वतः कर निर्धारण योजना के अन्तर्गत किया गया। आगे वाद की जॉच में पाया गया कि व्यौहारी का आउटपुट टैक्स रु.19,60,913.00 तथा आई.टी.सी. रु.17,75,112.00 निर्धारित थी। इस प्रकार रु 1,85,801.00(1960913–1775112)अन्तरीय कर बकाया रह गया था। किन्तु विभाग ने अपने आदेश दिनॉक 19.09.17 द्वारा मात्र रु.21315.00 बकाया कर जमा करने के साथ इस पर 15 प्रतिशत की दर से व्याज भी आरोपित किया था। व्यौहारी द्वारा दिनॉक 28.06.2018 को चालान द्वारा रु.21315.00 जमा किया गया। इस प्रकार रु.164486.00(185808–21315) कर तथा नियमानुसार इस पर व्याज भी देय था जमा किये जाने के साक्ष्य पत्रावली पर नही पाये गये।

उत्तराखण्ड शासन विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग संख्या 282/xxxvi(3)/2017/41(1)/2017

देहरादून,30जून 2017 अधिसूचना के क्रमॉक (पॉच)अनुसार ऐसे व्यौहारी जिन्होने रु.10,000.00 से अधिक का वापसी का दावा न किया हो वही व्यौहारी इस योजना हेतु पात्र होगे। इस प्रकार उक्त व्यौहारी की वापसी का दावा रुपये दस हजार से अधिक का होने के कारण स्वतः कर निर्धारण स्कीम के अन्तर्गत मान्यता नही प्रदान की जानी थी।

लेखापरीक्षा के इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा ब्याज सहित रु.21,315.00 जमा किये जाने तथा प्रस्तर निक्षेप किये जाने की टिप्पणी की गयी, किन्तु न तो रु.21,315.00 पर ब्याज जमा किये जाने के साक्ष्य उपलब्ध कराये गये और न ही रु.1,64486.00 विगत वर्षो का अधिक जमा आई.टी.सी. की धनराशि को इस वर्ष समायोजित किये जाने के साक्ष्य ही लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किये गये।अतः प्रस्तर उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाये जाने हेतु प्रस्तुत है।

भाग दो ब

प्रस्तर-03; समाधान धनराशि का कम निर्धारण ₹1.15 लाख।

कार्यालय सहायक आयुक्त (क0नि0) चतुर्थ राज्य कर हल्द्वानी के माह 04/2015 से 03/2018 तक के अभिलेखों की नमूना जॉच के दौरान पाया गया कि व्यौहारी सर्वश्री नरेन्द्र देव रेलवेज टिन 05007580478 एक सिविल संविदाकार के रुप में विभाग में पंजीकृत है। व्यौहारी द्वारा वर्ष 2013–14 समाधान विकल्प अपनाया गया है। कर निर्धारण वाद के अनुसार कुल भुगतान रु.57,30,519.00 पर दो प्रतिशत की दर से रु.1,14,610.00 समाधान की धनराशि निर्धारित की गयी थी। जबकि वित अनुभाग–8 उत्तराखण्ड के शासनादेश संख्या–330/2012/14/ XXVII (8) 06दिनॉक 17 अप्रैल 2012 के पैरा (4) (क)के अनुसार जिन मामलों में संविदाकार द्वारा वित्तीय वर्ष में निष्पादित ठेके की कुल धनराशि के पॉच प्रतिशत तक माल के आयात का प्रयोग किया गया हो, उसमें उपरोक्तानुसार आगणित धनराशि के चार प्रतिशत की दर से समाधान राशि की गणना की जायेगी।

वित अनुभाग–8 उत्तराखण्ड के शासनादेश संख्या–627/2012/14/ XXVII (8)06दिनॉक 03 जुलाई 2012 के अनुसार सिविल एवं विद्युत संविदाकार जो संविदा की कुल धनराशि के 5 प्रतिशत तक आयात करेंगें उन पर 4 प्रतिशत के समतुल्य समाधान राशि की करदेयता बनती है तथा 5 प्रतिशत तक आयात करने वाले से अभिप्राय 0 से 5 प्रतिशत तक है, अत; आयात न करने वाले संविदाकार भी इस श्रेणी में माने जायेंगे। उपरोक्त नियम के आलोक में निम्नवत कम समाधान राशि का निर्धारण किया गया:–

क्र.स.	संविदा सं. व संविदा तिथी	भुगतान की धनराशि रुपये में	दो प्रतिशत की दर ली गयी समाधान की धनराशि रुपये में	निर्धारित चार प्रतिशत की दर से समाधान की धनराशि रुपये में	कम ली गयी दो प्रतिशत की दर से समाधान की धनराशि रुपये में
1.	E/99/TC 19-02-2013	18,91,348.00	37827.00	75,654.00	37827.00
2.	E/99/TC 19-02-2013	7,78,124.00	15562.00	31,124.00	15562.00
3.	E/99/TC 19-02-2013	30,61,047.00	61221.00	1,22,442.00	61221.00
		57,30,514.00	1,14,610.00	2,29220.00	1,14,610.00

इस प्रकार उपरोक्त **के अनुसार** रु.1,14,610.00 कम ली गयी समाधान राशि के संबन्ध में लेखापरीक्षा के इंगित किये जाने पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा टिप्पणी की गयी कि शासनादेश सं.

380/2013/07(120)/ xxvII (8)/2013 दिनॉक 28.04.2013 के अनुसार उक्त शासनादेश सं.330 दिनॉक 17.04.2012 दिनॉक 01.04.2012 द्वारा दिनॉक 31.03.2015 तक की अवधि के लिये पूर्व में जारी समाधान योजना में से दिनॉक 01.04.2013 से 31.03.2015 तक की अवधि के लिये योजना को वापस लेते हुयें संशोधित समाधान योजना लागू की गयी है। संशोधित शासनादेश के अनुसार संविदाकार द्वारा प्रान्त बाहर से माल का आयात 5 प्रतिशत तक अथवा नही किया हो तो भुगतान राशि के दो प्रतिशत की दर से समाधान की राशि निर्धारित की जायेगी फलतः अन्तिम कर निर्धारण आदेश में दो प्रतिशत की दर से समाधान राशि निर्धारित की गयी है। अतः प्रस्तर निक्षेप योग्य है।

कर निर्धारण अधिकारी की उपरोक्त टिप्पणी लेखापरीक्षा को इस आधार पर अमान्य है, क्योंकि संशोधित शासनादेश तथा कर निर्धारण अधिकारी की इस टिप्पणी में उल्लेख है कि दिनॉक 01.04.2013 से 31.03.2015 तक की अवधि के लिये योजना को वापस लेते हुयें संशोधित समाधान योजना लागू की गयी है। इसमें समाधान योजना 2012–13 की अवधि के लिये कोई संशोधन नही किया गया है। अतः रु.1,14,610.00 कम ली गयी समाधान का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में **लाया जाता है।**

भाग दो ब

प्रस्तर -04 कर का अनारोपण एवं आगामी वर्ष में अधिक कर की जमा धनराशि का कैरी फारवर्ड किया जाना ₹1.01 लाख

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा- 3(1) के अनुसार किसी व्यौहारी अथवा व्यक्ति द्वारा राज्य के भीतर किये गये प्रत्येक विक्रय पर इस अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत कर आरोपित किया जायेगा। उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 4(2)(ख)(i)(ई) मे यह प्रावधान किया गया है, कि किसी भी अनुसूची मे सम्मिलित माल से भिन्न माल के संबंध मे करदेयता 13.5% की दर से निर्धारित की गई है।

कार्यालय सहायक आयुक्त (क0नि0)-खंड-04 राज्य कर विभाग हल्द्वानी के अभिलेखो की जांच मे पाया गया कि व्यापारी सर्वश्री अमर टायर्स, टी0 पी0 नगर हल्द्वानी टिन सं0 05008711304 कर निर्धारण वर्ष 2013-14 मे टायर ट्यूब एवं फ्लैप आदि की खरीद ₹1,37,37,415 एवं बिक्री ₹1,48,44,520 की घोषित किया गया है। व्यापारी द्वारा ₹5,57,080 की बिक्री वापसी के संबंध मे क्रेडिट नोट प्राप्त होन दर्शाया गया है। जबकि पत्रावली पर क्रेडिट नोट की प्रति संलग्न नहीं है। अतः उक्त बिक्री वापसी पर 13.5 प्रतिशत की दर से कर ₹75,206 (₹5,57,080 x 13.5%) का कर व्यापारी पर आरोपणीय ।

उक्त के अलावा व्यापारी द्वारा ₹1,48,44,520 पर 13.5 प्रतिशत की दर से कर ₹20,04,010 घोषित किया है। संगत वर्ष मे आई टी सी 18,54,556 (₹1,37,37,415 x 13.5 प्रतिशत) एवं QTR-01 से Tax Credit B/F ₹1,68,469 अर्थात कुल ₹20,23,025 होता है। कर की धनराशि को घटाने के पश्चात ₹19,015 ही अधिक जमा धनराशि आगामी वर्ष के लिए कैरी फारवर्ड किया जाने योग्य थी जबकि स्वतः कर निर्धारण आदेश मे ₹44,796 आगामी वर्ष के लिए कैरी फारवर्ड किया गया है। इस प्रकार ₹25,781 (₹44,796 - ₹19,015) की अधिक धनराशि को कैरी फारवर्ड किया गया है।

इस प्रकार कुल ₹ 1,00,987/- (₹ 75206+25781) की राजस्व क्षति का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो ब

प्रस्तर-05 कर का अनारोपण ₹ 21,183/-

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा- 3(1) के अनुसार किसी व्यौहारी अथवा व्यक्ति द्वारा राज्य के भीतर किये गये प्रत्येक विक्रय पर इस अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत कर आरोपित किया जायेगा। उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 4(2)(ख)(i)(ई) मे यह प्रावधान किया गया है, कि किसी भी अनुसूची मे सम्मिलित माल से भिन्न माल के संबंध मे करदेयता 13.5% की दर से निर्धारित की गई है।

कार्यालय सहायक आयुक्त (क0नि0) चतुर्थ राज्य कर हल्द्वानी के माह 04/2015 से 03/2018 तक के अभिलेखों की नमूना जॉच के दौरान पाया गया कि व्यौहारी सर्वश्री करन अशोक मोटर्स प्रा0लि0 टिन 05012246275 स्पेयर पाटर्स की खरीद विक्री के कारोबारी के रुप में विभाग में पंजीकृत है। व्यौहारी द्वारा वर्ष 2013–14 कुल बिक्री रु. 24,89,667.00 पर 13.5 प्रतिशत की दर से 3,36,105.00 कर निर्धारित किया गया था।

पत्रावली के लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि प्रपत्र 16 सं. UK/VAT-M-2012/005122 Rs.1,48,667-00 प्रपत्र 16 सं. UK/VAT-M-2012/2057003 Rs.8,251-00 अर्थात 1,56,918.00(148667+8251) के स्पेयर मोटर पार्टस मंगाये गये थे जिसका विक्रय एवं कर निर्धारण आदेश में कोई उल्लेख नहीं किया गया। फलतः इसे बिक्री माना जायेगा। एवं इस पर रु.21,183.93(156918X13.5) कर अनारोपित रह गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर करनिर्धारण अधिकारी द्वारा "जॉचोपरान्त नियमानुसार कार्यवाही किये जाने की टिप्पणी की गयी। ₹21183/- का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में **लाया जाता है।**

भाग दो ब

प्रस्तर- 06 ब्याज के अनारोपण से राजस्व क्षति `0.10 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 34 (4) के अनुसार स्वीकृत रूप से देय कर विहित समय के भीतर जमा किया जाएगा। ऐसा करने मे विफल होने पर अदत्त धनराशि पर विहित अंतिम तारीख के ठीक अगली तारीख से ऐसी धनराशि के भुगतान की तारीख से 15% वार्षिक की दर से ब्याज देय होगा।

कार्यालय सहायक आयुक्त (क0नि0)-IV, राज्य कर हल्द्वानी के लेखाभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच मे पाया गया कि सर्वश्री हरयाल सर्विस सेन्टर बरेली रोड गौजाजाली की वर्ष 2013-14 की पत्रावली मे कर निर्धारण अधिकारी द्वारा 25(7) के अन्तर्गत 8514/- की मांग सृजित की गयी थी जिसे कर दाता द्वारा 60 दिन के भीतर ब्याज सहित जमा करना था, परन्तु करदाता द्वारा कर की धनराशि दिनांक 12.12.17 को जमा की गयी परन्तु इस धनराशि पर ब्याज का भुगतान नही किया गया जो कि निम्नवत है- दिनांक 01.10.2013 से 01.12 .2017 तक क्रय 50 माह का ब्याज

50X15X8514/1200=₹5321

इस प्रकार ब्याज की कुल धनराशि `5321/- देय है।

2.सर्वश्री बालाजी ब्रिक्स सप्लायर्स,मंडी बाइपास,बरेली रोड,हल्द्वानी की वर्ष 2012-13 की पत्रावली मे कर निर्धारण अधिकारी द्वारा 25(7) के अन्तर्गत 26788/-की मांग सृजित की गयी थी जिसे कर दाता द्वारा 60 दिन के भीतर ब्याज सहित जमा करना था, परन्तु करदाता द्वारा कर की धनराशि ` 8,062 ब्याज के साथ दिनांक 08.12.15 को जमा की गयी परन्तु इस धनराशि पर ब्याज ` 2626.41 कम जमा किया गया जो कि निम्नवत है- दिनांक 01.10.2012 से 01.12.2015 तक 38 माह का ब्याज =26788X15X38/1200=₹12,724

इस प्रकार ब्याज में कमी=₹4662/- (12724-8062)

इस प्रकार दोनों प्रकरण पर ₹9,983 का ब्याज जमा करना शेष है।

लेखापरीक्षा के इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा (**i**) एवं (**ii**) में जांचोपरांत कार्यवाही से अवगत कराने की टिप्पणी की गयी प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
SRA/CT-47/2011-12	शून्य	01,02 (02)
RS/CT-18/2015-16	शून्य	01,,02 (02)
STAN (01,02,03,(3)	-	-

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरो की अनुपालन आख्या :

क्रम सं.	प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर का विवरण	विभागीय अनुपालन आख्या

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

भाग-V

<u>आभार</u>

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय **कार्यालय सहायक आयुक्त (क0नि0) चतुर्थ, राज्य कर, हल्द्वानी** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये: शून्य
2. **सतत् अनियमितताएः**
   टिप्पणी- शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम	
(i)	श्री विनय प्रकाश ओझा	सहायक आयुक्त	23.09.2015 से वर्तमान तक
(ii)	श्रीमती शैलजा पाठक	सहायक आयुक्त	01.04.2015 से 22.09.2015

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय सहायक आयुक्त (क0नि0) चतुर्थ, राज्य कर, हल्द्वानी** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र), कार्यालय प्रधान महालेखाकर (लेखा परीक्षा)-उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून को प्रेषित कर दी जाए।

व0लेखापरीक्षा अधिकारी/राजस्व क्षेत्र